न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :–

1) गोमाराम पुत्र पुनमाराम

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1) उकाराम पुत्र पुनमाराम
2) घेवरचन्द पुत्र पुनमाराम
3) जमीदेवी पत्नी पुनमाराम
4) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरुस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री गोमाराम स्वंय वादी।
2..श्री उकाराम प्रतिवादीगण
3 श्री घेवरचन्द —
4 श्री जमीदेवी
5) तहसीलदार पचपदरा

निर्णय

दिनांक :– 9/10/2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत ~~खसरा~~ खाता नं ~~जैरला~~ 19 रकबा 50-14 बीघा, मौजा गोमडी , खाता सं. जैरला , खाता नं. 16 रकबा 9-11 बीघा मौजा गोमडी , खाता सं. 579 , रकबा 7-00 बीघा मौजा भाटियावास ख.नं. 174 रकबा 7 बीघा ~~सरहद मौजा~~ ~~जैरला~~ तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम गोकुलराम होने से राजस्व रेकर्ड में गोकुलराम पुत्र पुनमाराम दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड में वादी का नाम गोमाराम पुत्र पुनमाराम दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज गोकुलराम के स्थान पर गोमाराम पुत्र पुनमाराम सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:44:24 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Scanned by TapScanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ......गोकुलराम...... के स्थान पर ......गोपाराम पुत्र पुनमाराम...... दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ......उप तहसीलदार जसोल...... तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन कियाँ गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत ~~खसरा~~ खाता नं ......19...... रकबा ......50-14...... बीघा, सरहद मौजा ......जैरला...... तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम ......गोकुलराम...... दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार ......पचपदरा...... की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम ......गोकुलराम...... दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ......गोपाराम...... है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत ~~खसरा~~ खाता नं ......19...... रकबा ......50-14...... बीघा, सरहद मौजा ......जैरला...... खाता सं. 16 रकबा 9-11 बीघा मौजा गोमड़ी, खाता सं. 579 रकबा ~~बीघा~~ 7-00 बीघा मौजा भांडियावास के ख. नं. 174 रकबा 7-20 बीघा

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......गोकुलराम...... पुत्र ......पुनमाराम...... के स्थान पर ......गोपाराम...... पुत्र ......पुनमाराम...... खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ......9/10/2021...... को कोर्ट केम्प कोर्ट......रामसीन...... में मजमे आम में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) पचपदरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:44:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner